राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा नम्बर 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2220278

क्रमांक एफ 2 (B) (91) लेखा/राईस/सामान्य/2016/4471 दिनांक 6-5-16

नीलामी विज्ञप्ति

राईस के अधीन संचालित निम्न राजकीय आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध नाकारा/अनुपयोगी सामान जहां है, जैसा हैं के आधार पर नीलामी संबंधित आवासीय विद्यालयों में निम्नांकित उल्लेखित दिनांक को प्रातः 11:00 बजे से की जायेगी।

नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को नीलामी से पूर्व निर्धारित बयाना राशि कुल सामान के पुस्तक मूल्य का 2 प्रतिशत के रूप में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जो सम्बन्धित प्रधानाचार्य के पद नाम से बना हो जमा कराना आवश्यक है। नीलामी से सम्बन्धित समस्त शर्तों का अवलोकन वेबसाईट http//sppp.raj.nic.in एवं http//sje.rajasthan.gov.in तथा राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस), जयपुर एवं संबंधित राजकीय आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के कार्यालयों से किया जा सकता है। प्रधानाचार्यों से उल्लेखित मोबाइल नं. पर जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी कार्यक्रम

क्र. स.	राजकीय आवासीय विद्यालय का नाम	आवासीय विद्यालयों में नीलामी योग्य सामान का कुल पुस्तक मूल्य (राशि लाखों में)	नीलामी की दिनांक	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो. नम्बर
1.	खेडा आसपुर (डूंगरपुर)	3.19	26.05.2016	श्री हेमेन्द्र सिंह 9636729191
2.	मण्डाना (कोटा)	1.77	26.05.2016	श्री सियाराम माली 9636077809
3.	पावटा (नागोर)	2.71	26.05.2016	श्री मुंशी खाँ 9982318476
4.	बगडी (दौसा)	5.19	26.05.2016	श्री राजेश कुमार शर्मा 9414991315
5.	हिंगी (कोटा)	9.61	25.05.2016	श्री सियाराम माली 9636077809
6.	अटरू (बारां)	14.00	25.05.2016	श्री बहादुर सिंह चौधरी 9829899236
7.	हरियाली (जालौर)	3.22	27.05.2016	श्री लक्ष्मण सिंह 9982986897
8.	केनपुरा (पाली)	1.98	25.05.2016	श्री रघुनाथराम परमार 8890804855
9.	मण्डोर (जोधपुर)	7.18	27.05.2016	श्री सुरेशाराम 9460890399
10	छाण (सवाई माधोपुर)	2.64	27.05.2016	श्री राधेश्याम मीना 9460440580
11.	वजीरपुरा (टोंक)	1.57	27.05.2016	श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल 9414277694
12	आटूण (भीलवाडा)	6.88	26.05.2016	श्रीमती मधु सामरिया 9214470144
13	खोड़न (बांसवाडा)	4.60	24.05.2016	श्री हिराचन्द नायक 9602926364
14	भैसवाडा (जालोर)	7.07	26.05.2016	श्री भंवरलाल परमार 9413465033
15	धनवाडा (झालावाड)	1.63	27.05.2016	श्री रामहेत भरावन 9929735800

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं सचिव राईस

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के नियंत्रणाधीन राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस) के अधीन संचालित आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध नकारा/अनुपयोगी सामान की नीलामी की शर्तें

1. नीलामी स्थल सम्बन्धित आवासीय विद्यालय प्रांगण में प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली लगाने से पहले बयाना राशि नीलामी योग्य नकारा/अनुपयोगी सामान के कुल पुस्तक मूल्य के 2 प्रतिशत के रूप में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करनी होगी, उक्त बयाना राशि नकद या बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर से जमा करानी होगी। बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय .... के पक्ष में देय होगा तथा उक्त ड्राफ्ट सम्बन्धित शहर/जिले में स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानरे एण्ड जयपुर की शाखा से आहरित किये जाने योग्य हों।
2. असफल बोली दाताओं (प्रथम अधिकतम बोली दाता को छोडकर) को उक्त बयाना राशि नीलामी समाप्त होने के बाद उनकी मांग पर लौटा दी जावेगी। सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में बयाना राशि उसके द्वारा देय सामान के विक्रय मूल्य में सम्मिलित कर ली जावेगी।
3. एक बार बोली समाप्त होने के बाद सामान के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नहीं की जावेगी और ना ही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापिस ले सकेगा। प्रत्येक बोली लगाने वाले के लिए यह समझा जावेगा कि उसने वस्तुओं/सामान का निरीक्षण कर लिया है और वह नीलामी की इन शर्तों को मानने के लिए बाध्य है।
4. सामान की नीलामी "जैसा है जहाँ है" के आधार पर की जावेगी। अतः बोली लगाने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि बोली से पूर्व सामान का पूरा निरीक्षण करले तथा सामान के विवरण के बारे में अपने आप को संतुष्ट कर लें। निर्धारित बयाना राशि के अभाव में कोई भी व्यक्ति/फर्म बोली लगाने हेतु हकदार नहीं होंगे।
5. सबसे ऊँची बोली की एक चौथाई राशि सामान की नीलामी के तुरन्त बाद नीलामी स्थल पर ही जमा कराई जावेगी। नीलामी दिनांक को उक्त राशि जमा नहीं कराने पर उक्त बयाना राशि जब्त करली जावेगी एवं बोली दाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।
6. सम्बन्धित आवासीय विद्यालयों में उल्लेखित नीलामी की तिथि को नीलामी कार्यवाही पूर्ण नहीं होने पर नीलामी समिति उचित निर्णय लेकर उक्त नीलामी की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस को भी जारी रख सकती है।

६१२

7. प्रत्येक बोली की विक्रय राशि (सबसे ऊँची बोली) की शेष तीन चौथाई राशि नकद या बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के द्वारा जमा करवाई जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर .... के नाम से बनवाया जावेगा। नीलामी दिनांक से तीन दिन के अन्दर यह राशि जमा करानी होगी। अन्यथा जमा बयाना एक चौथाई राशि जब्त करली जावेगी। तत्पश्चात् द्वितीय अधिकतम बोली दाता की बोली पर विचार करने के लिए नीलामी समिति निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी।
8. सुपुर्दगीः– नीलामी छूटने के बाद सामान तीन दिन के अन्दर हटाना आवश्क है, जिसमें नीलामी का दिन शामिल नहीं है।
9. सामान की नीलामी के पश्चात् उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए आवासीय विद्यालय/ विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि पूर्ण विक्रय राशि तुरन्त जमा कराकर सामान को उठा लें।
10. विक्रय मूल्य के अतिरिक्त सफल बोली लगाने वाले के द्वारा जहाँ आवश्यक हो सामानों के विक्रय मूल्य के साथ–साथ सरकार द्वारा निर्धारित दर से वेट (VAT) एवं अन्य करो का भी भुगतान किया जावेगा।
11. बोली स्वीकार किये जाने की दिनांक से क्रेता द्वारा सरकार को राज्य में लागू करों एवं शुल्कों का भी भुगतान करना होगा।
12. कोई विभागीय/आवासीय विद्यालय कर्मचारी बोली नहीं लगा सकेगा।
13. इन शर्तों के संबंध में किसी भी शक का समाधान करने एवं नीलामी के सम्बन्ध में नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
14. न्यायिक विवाद क्षेत्राधिकार सम्बन्धित आवासीय विद्यालय का जिला होगा।
15. नीलामी किए जाने वाले सामान का अवलोकन कार्य दिवसों में विद्यालय कार्यालय समय पर संबंधित आवासीय विद्यालयों के भण्डार/स्टोर में किया जा सकता है।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं सचिव राईस